

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण कार्य विभाग**

अधिसूचना संख्या- 6/अ0प्र0-2-06/2015 8053 पटना, दिनांक 20.11.19

**अधिसूचना**


राज्य कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित संकल्प ज्ञापांक-7566 दिनांक 14.07.2010 "बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2010 एवं पत्रांक-8928 दिनांक-15.11.2017 में निहित प्रावधानों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत दिनांक 10.10.2019 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक की गयी। समिति की अनुशंसा के अनुरूप बिहार अभियंत्रण सेवा सवर्ग-2 के सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधे नियुक्त अभियंताओं के सेवा/संवर्ग में प्रथम योगदान की तिथि से लगातार 10 वर्ष अथवा दिनांक-01.01.2016 जो बाद में हो के नियमित सेवा होने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित अभियंताओं को उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०सं	पदाधिकारी का नाम	मूल कोटि की संयुक्त वरीयता-2016	जन्म तिथि	अभियंता संवर्ग में प्रथम योगदान की तिथि	प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्तिय उन्नयन देय तिथि	प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्तिय उन्नयन देय वेतनमान
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री अमल प्रकाश/मधुबनी	303	01.01.1972	16.08.2004 स0अ0	01.01.2016	वेतन स्तर-11
2	श्री महेश्वर प्रसाद सिंह/समस्तीपुर	305	01.01.1965	16.08.2004 स0अ0	01.01.2016	वेतन स्तर-11
3	श्री अरविन्द भारती/पूर्णियाँ	317	31.12.1974	18.08.2004 स0अ0	01.01.2016	वेतन स्तर-11
4	श्री कुलानन्द यादव/सहरसा	138	17.02.1965	31.07.2004 स0अ0	01.01.2016	वेतन स्तर-11

2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22(i) ए(i) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630 दिनांक 21.01.2010 के कडिका-12 में निहित प्रावधान के अनुसार किय जायेगा।

3. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।  
4. उपर्युक्त वर्णित कर्मियों के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


  
(संजय दूबे)

सरकार के अपर सचिव

Chandran




ज्ञापांक:- 6/अ0प्र0-2-06/2015 8054 पटना, दिनांक 20.11.19  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वैयक्तिक  
दावा निर्धारण कोषांग(वित्त विभाग) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
20/11/19


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6/अ0प्र0-2-06/2015 8054 पटना, दिनांक 20.11.19  
प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
20/11/19

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6/अ0प्र0-2-06/2015 8054 पटना, दिनांक 20.11.19  
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यार्थ प्रेषित।

  
20/11/19

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 6/अ0प्र0-2-06/2015 8054 पटना, दिनांक 20.11.19  
प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान  
सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन  
विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/वित्त विभाग/ग्रामीण कार्य  
विभाग/पंचायती राज विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य  
विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/उप विकास आयुक्त/सभी मुख्य  
अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित  
पदाधिकारी /प्रशाखा पदाधिकारी-2, 3, 4, 5 एवं 6 ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित  
कार्यपालक अभियंता/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
20/11/19.

सरकार के अपर सचिव

